न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 02/2018

अपीलांट्स –

1. खेताराम पुत्र किरताराम
2. भोजाराम पुत्र भेराराम के कायम मुकाम–

2.1 डाउराम पुत्र भोजाराम जाति जाट निवासी रामदेरिया सवाउ मूलराज तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिड़ा
2. हीराराम पुत्र किरताराम
3. किशनाराम पुत्र किरताराम
4. मूलाराम पुत्र किरताराम के कायम मुकाम

4.1 वालाराम पुत्र मूलाराम

5. चेनाराम पुत्र किरताराम
6. गुणेशाराम पुत्र हुकमाराम
7. हरीश पुत्र हुकमाराम
8. जालूराम पुत्र हुकमाराम
9. गंगादेवी पत्नी हुकमाराम
10. भोजाराम पुत्र भैराराम के कायम मुकाम

10.1गोरधनराम पुत्र भोजाराम

10.2पूनमाराम पुत्र भोजाराम

11. खेताराम पुत्र भैराराम के कायम मुकाम

11.1बाबूराम पुत्र खेताराम

11.2खेमाराम पुत्र खेताराम

11.3भंवराराम पुत्र खेताराम

11.4टीपूदेवी पत्नी खेताराम

12. टीकमाराम पुत्र भैराराम
13. भोजाराम पुत्र जगराम

जातियान जाट निवासी रामदेरिया तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांकः भू0अ0/2007/53 दिनांक 25.03.2007 जो खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:10:37 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री नरपत पूनड़, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री रिणछाराम सियाग, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 3,9व13 की ओर से उपस्थित।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

3. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 2,5,10,11.1,11.2,11.4 व 12 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।
5. शेष रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 20.09.2022

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गिड़ा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 53 दिनांक 25.03.2007 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा रामदेरिया के खसरा नम्बर 316, 340, 357 रकबा क्रमशः 84–09, 252–05, 133–08 बीघा, मौजा सवाउ मूलराज के खसरा नम्बर 374, 377 रकबा क्रमशः 35–01, 222–07 बीघा एवं मौजा धेतालर के खसरा नम्बर 168 रकबा 15–08 बीघा भूमि के खातेदारान हीराराम, किशनाराम, मूलाराम, खेताराम, चेनाराम पि0 किरताराम, गुणेशाराम, हरीश, जालूराम पि0 हुकमाराम, मु0 गंगादेवी बेवा हुकमाराम ना.बा. की वली माता गंगादेवी पत्नी हुकमाराम, भोजाराम, खेताराम, टीकमाराम पि0 भैराराम, भोजाराम पुत्र जगराम जाति जाट साकिन देह ने दिनांक 25.03.2007 को तहसीलदार गिड़ा के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान पटवारी हीरा की ढाणी द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उपरोक्त इकरारनामे की रिकॉर्ड के आधार पर जांच की गई। उपरोक्त वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी में दर्ज हैं। इस इकरारनामे में भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया हैं। इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत हैं। इस पर तहसीलदार गिड़ा द्वारा हलका पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2007 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.10.2017 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:10:37 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलाधीन आदेश पारित करने में तहसीलदार गिड़ा द्वारा भारी कानूनी एवं विधिक भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया से परे जाकर इस प्रकरण में बिना कानूनी तरीके से मौका से कब्जा–काश्त की मौका रिपोर्ट मंगवाये बंटवाड़ा कर दिया, जिससे पक्षपातपूर्ण रवैया स्पष्ट दृष्टिगोचर होता हैं। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट सं. 2से13 की संयुक्त खातेदारी भूमि में आपस में बाहमी तौर से मौका पर कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा किया हुआ है, जिसमें अपीलांट्स व रेस्पोडेंट सं. 2से13 का कब्जा–काश्त परिशिष्ट–अ में बरंग लाल व हरा अनुसार हैं। अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप अपीलांट्स की रहवासीय ढाणियां व पानी के टांके प्रभावित हो रहे हैं तथा बंटवाड़ा की तरमीम मौका पर कब्जा–काश्त से बिल्कुल ही भिन्न है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार कब्जा–काश्त की स्थिति से भिन्न नक्शा ट्रेस में बताये अनुसार बंटवाड़ा किया हैं जो खारिज योग्य हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें।

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अर्सा कुछ दिन पूर्व जब रेस्पोडेंट सं. 2से13 द्वारा अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तथा अपीलांट्स की रहवासीय ढाणियां व पानी के टांके अपने हिस्से में आने का बताया तथा अपीलांट्स के आवागमन में बाधाऐं डाल कर आवागमन के रास्तों को अवरूद्ध किया तब पूछने पर बताया कि भूमि का दिनांक 25.03.2007 को विभाजन अनुसार भूमि उनके हिस्से में आती हैं। इस पर दिनांक 22.08.2017 को आवश्यक नकलें मांगी जो दिनांक 25.09.2017 को प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई हैं तथा वास्तविक जानकारी की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद पेश की जा रही है। इसके बावजूद अपील पेश करने में हुई देरी हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट्स की ओर से यह अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए अपील उपर्युक्त आधारों पर अन्दर मयाद शुमार करते हुए स्वीकार फरमावें।

6. रेस्पोडेंट सं. 2,5,10,11.1,11.2,11.4 व 12 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा जवाब में अपीलांट्स की अपील की ताईद करते हुए अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त कर नये सिरे से बंटवाड़ा किये जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया गया।

7. रेस्पोडेंट सं. 3, 9 व 13 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अपीलाधीन विभाजन का नक्शा समस्त पक्षकारान–खातेदारन ने अपने–अपने कब्जे की स्थिति को सुनिश्चित कर एकराय होकर तैयार किया व पुनः उसे अपने कब्जा अपने कब्जा अनुसार होना पाकर उस पर अपनी स्वीकृति हेतु हस्ताक्षर व निशान अंगुष्ठ किये हैं तथा पक्षकारान का जैसा हिस्सा था उसे मानकर विभाजन का आवेदन तस्दीक हेतु पेश किया गया। रेस्पोडेंट सं. 13 द्वारा अपने खेतों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:10:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

नेखमबंदी करवाई गई, जिसकी पालना रिपोर्ट में किसी खातेदार के ढाणी, पानी के टांके प्रभावित नही हुए हैं। अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने में कई तथ्य छिपाये हैं तथा वर्तमान जमाबन्दी की नकलें भी प्रस्तुत नहीं की गई हैं तथा सभी हितबद्ध खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। अपीलांट सं. 2 ने अपने पिता के फोत होने पर नामान्तरकरण सं. 558, 318 व 117 दिनांक 08.07.2016 को अपने नाम पारित करवाये हैं तथा लगातार राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते आ रहे हैं। अपीलांट्स ने अपीलाधीन विभाजन के उपरांत अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 15.07.2017 को जमाबन्दी की नकलें प्राप्त कर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु के न्यायालय में दिनांक 24.07.2017 को धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद सं. 103/2017 एवं धारा 212 के तहत आवेदन सं. 220/2017 अनवान खेताराम बनाम हीराराम तथा वाद सं. 107/2017 व आवेदन सं. 221/2017 अनवान डाउराम बनाम टीकमाराम प्रस्तुत किये गये हैं जो विचाराधीन हैं। उक्त वाद पत्रों में वर्तमान जमाबन्दी में अंकित खसरा नम्बरान की भूमि को अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया हैं। इसके अलावा अपीलांट सं. 2 द्वारा हल्का पटवारी से दिनांक 10.05.2012 को भी उक्त खसरान की राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त की हैं जो पी–35 के अनुसार साबित हैं। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने के तथ्य गलत वर्णित किये हैं तथा अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पालना होकर रेकर्ड में इन्द्राज होने की पूर्णतः जानकारी थी जो दस्तावेजी साक्ष्य से ही स्थापित हैं। इसलिये अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने से काबिल खारिज योग्य हैं।

8. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा रामदेरिया के खसरा नम्बर 316, 340, 357 रकबा क्रमशः 84–09, 252–05, 133–08 बीघा, मौजा सवाउ मूलराज के खसरा नम्बर 374, 377 रकबा क्रमशः 35–01, 222–07 बीघा एवं मौजा धेतालर के खसरा नम्बर 168 रकबा 15–08 बीघा भूमि के खातेदारान हीराराम, किशनाराम, मूलाराम, खेताराम, चेनाराम पि0 किरताराम, गुणेशाराम, हरीश, जालूराम पि0 हुकमाराम, मु0 गंगादेवी बेवा हुकमाराम ना.बा. की वली माता गंगादेवी पत्नी हुकमाराम, भोजाराम, खेताराम, टीकमाराम पि0 भैराराम, भोजाराम पुत्र जगराम जाति जाट साकिन देह ने दिनांक 25.03.2007 को तहसीलदार गिड़ा के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले मकान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान पटवारी हल्का की ढाणी पर की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उपरोक्त इकरारनामे की शर्तों के आधार पर जांच की गई। उपरोक्त वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी में दर्ज हैं। इस

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:10:37 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

इकरारनामे में भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया हैं। इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत हैं। इस पर तहसीलदार गिड़ा द्वारा हलका पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2007 पारित किया गया। अपीलांट्स की ओर से इस आदेश के विरूद्ध यह अपील दिनांक 16.10.2017 को प्रस्तुत की गई हैं तथा अपीलाधीन आदेश की नकलें प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.09.2017 को होना प्रकट किया हैं जबकि अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा जवाब में प्रकट तथ्यों अनुसार अपीलांट सं. 2 द्वारा दिनांक 10.05.2012 को नकल प्राप्त की गई हैं तथा अपने पिता के फोतगी पर नामान्तरकरण सं. 558, 318 व 117 दिनांक 08.07.2016 को अपने नाम पारित करवाये हैं। इसके पश्चात अपीलांट सं. 1 व 2 ने न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बायतु के समक्ष अलग–अलग वाद एवं आवेदन पत्र दिनांक 24.07.2017 को प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा इस अपील में उक्त तथ्यों को छिपाते हुए मयाद के सम्बन्ध में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलांट्स के द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी उल्लेखित दस्तावेजों नकले प्राप्त होने पर होना प्रकट किया हैं जबकि अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार उक्त विभाजन उपरांत राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त करना, फोतगी पर विरासत का नामान्तरकरण पारित करना तथा सहायक कलक्टर (एसडीओ) बायतु के समक्ष वाद प्रस्तुत करने पर जानकारी होना अभिलेखीय तौर पर स्थापित हैं। ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार अपीलाधीन विभाजन अपीलांट्स की स्वयं की उपस्थिति में स्वीकृत किया गया है तथा अपीलांट्स द्वारा अपनी सहमति में हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं जिसके विरूद्ध 10 साल बाद हस्तगत अपील पेश की गई हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया हैं। लिहाजा हस्तगत अपील मेरीट पर दुर्बल होने के साथ ही पूर्णतया मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने व सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।

10. निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:10:37 IST
Reason: SelfAttested

(उम्मेद सिंह रतनू)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)